संख्या-2/2015/13/9/98/का-1-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2015

विषय :-विभागीय कार्यवाही के मामलों का नियमानुसार निस्तारण।

महोदय,

सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा दण्ड देने की प्रक्रिया का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के द्वारा किया गया है।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त नियमावली में विहित प्राविधानों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस तथ्य का संज्ञान मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या-923/2008 ज्ञानेश कुमार बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.05.2015 में भी लिया गया है। निर्देश याचिका में पारित निर्णय में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7(सात) तथा नियम-9(1), (2) एवं (3) का उल्लेख किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999, विशेष रूप से नियम-7 एवं नियम-9 की अनदेखी की जा रही है, यहां तक कि ध्यान आकृष्ट किये जाने के बाद भी त्रुटि के परिमार्जन एवं नियमावली में विहित नियमों का पालन किये जाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली के नियम-7 में दीर्घ शास्तियां अधिरोपित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है। नियमावली का नियम-7(सात) निम्नवत् है :-

"जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था :

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।"

**4-** नियमावली का नियम-9 जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही से सम्बन्धित है। इस नियम का उप नियम (1), (2) तथा (3) निम्नवत् है :-

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनर्जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम-7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायगा और तदनुसार उसे सूचित कर दिया जायगा।

**5-** उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त नियमावली में विहित प्राविधानों का सम्यक् अनुपालन न किये जाने का संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-1314(एस0बी0)/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम् आशीष निरंजन व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-25240/2014 कप्तान सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 22.07.2011 एवं 14.05.2014 में भी लिया गया है, जिसके अनुक्रम में कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा विभागीय कार्यवाही के मामलों का नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निस्तारण किये जाने के सम्बंध में शासनादेश संख्या-13/9/98/का-1-2015, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 निर्गत किया जा चुका है, जिसमें विस्तृत मार्गदर्शन/प्रकिया उल्लिखित है।

**6-** उपरोक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 एवं नियम-9 में उल्लिखित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-13/9/98/का-1-2015, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**आलोक रंजन**

मुख्य सचिव ।

संख्या-2/2015/13/9/98(1)/का-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

**राजीव कुमार**

प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।